



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 आषाढ़, 1942 (श०)

संख्या- 320 राँची, मंगलवार,

7 जुलाई, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

05 जून, 2020

संख्या-5/आरोप-1-32/2015-5660 (HRMS)-- श्री संतोष कुमार गर्ग, झा0प्र0से0 (प्रथम बैच, गृह जिला-राँची), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पाकुडिया के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-683, दिनांक 10.04.2015 के माध्यम से उपायुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, पाकुड़ के पत्रांक-11/मनरेगा, दिनांक 03.01.2015 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया। प्रपत्र-‘क’ में श्री गर्ग के विरुद्ध मनरेगा अंतर्गत योजना सं0-43/2009-10 (ग्राम-सालगापाड़ा में जुनास किस्कू के घर से गौर मैदान तक मिट्टी मोरम सड़क निर्माण) एवं योजना सं0-44/2009-10 (हटियाडांगाल से आम नदी तक मिट्टी मोरम पथ निर्माण) में अनियमितता संबंधी निम्नांकित आरोप गठित किये गये हैं -

- (i) दूरस्थ क्षेत्रीय कर्मचारी को अभिकर्ता बनाया जाना ।
- (ii) अभिलेख की कार्रवाई का निरीक्षण नहीं किया जाना एवं बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम-127 का पालन नहीं करना ।
- (iii) जांच दल को गुमराह किया जाना ।
- (iv) मनरेगा अधिनियम का उल्लंघन करना ।
- (V) अभिलेख संधारण में गड़बड़ियां किया जाना ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-6329, दिनांक 16.07.2015 द्वारा श्री गर्ग से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री गर्ग के पत्रांक-90/गो0, दिनांक 27.08.2016 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री गर्ग के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-9580, दिनांक 11.11.2016 द्वारा उपायुक्त, पाकुड़ से मंतव्य की माँग की गई। उक्त के आलोक में उपायुक्त, पाकुड़ के पत्रांक-684/मनरेगा, दिनांक 17.11.2018 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें श्री गर्ग के स्पष्टीकरण को अमान्य, तथ्यविहीन एवं असंतोषजनक प्रतिवेदित किया गया।

श्री गर्ग के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, पाकुड़ से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-977, दिनांक 31.01.2019 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी, श्री झा के पत्रांक-102, दिनांक 24.04.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने मंतव्य में श्री गर्ग के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप सं0-1, 2 एवं 3 को सही नहीं प्रतीत होने तथा आरोप सं0-4 एवं 5 को आंशिक रूप से सही प्रतीत प्रतिवेदित किया गया।

श्री गर्ग के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान समर्पित बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के मंतव्य की समीक्षा की गयी एवं समीक्षा में पाया गया की (i) आरोपी पदाधिकारी पर गठित आरोप संख्या-1 के संबंध में संचालन पदाधिकारी का मंतव्य ग्राह्य प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि श्री जाकिर हुसैन, पंचायत सचिव-सह-विभागीय अभिकर्ता योजना स्थल ग्राम पंचायत महलपहाड़ी के नहीं, अपितु तेतुलीया पंचायत के पंचायत सचिव थे। इसके अतिरिक्त स्वीकृत योजना स्थल से हटकर अन्य स्थल पर कार्य करवाने के लिए सिर्फ पंचायत सचिव ही नहीं बल्कि मनरेगा अंतर्गत मुख्य प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी होने के कारण प्रखंड विकास पदाधिकारी भी समान जिम्मेवार प्रतीत होते हैं।

(ii) आरोपी पदाधिकारी द्वारा दोनों योजनाओं में प्रथम अग्रिम राशि की स्वीकृति के विरुद्ध कार्यों की मापी कराये बगैर ही द्वितीय अग्रिम की राशि स्वीकृत की गई है, जो मनरेगा के प्रावधानों का उल्लंघन है।

(iii) आरोपी पदाधिकारी द्वारा मनरेगा के प्रावधानों एवं उपायुक्त के ज्ञापन-146/नरेगा दि0 27.06.2009 द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश में मजदूरी का भुगतान बैंक खाता/डाकघर बचत खाता के माध्यम से करवाने संबंधी निदेश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं करवाया गया, इसके लिए वे दोषी प्रतीत होते हैं।

अतः समीक्षोपरांत, श्री संतोष कुमार गर्ग, झा0प्र0से0 (प्रथम बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पाकुड़िया के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के आलोक में झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अंतर्गत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	SANTOSH KUMAR GARG 20060400014	श्री संतोष कुमार गर्ग, झा0प्र0से0 (प्रथम बैच, गृह जिला-राँची), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पाकुड़िया के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अंतर्गत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
